आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 379/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, शाखा– गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स एस मार्ट जरिये प्रोपराईटर मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह,
   पता:– ए–101, गुरूशरण अपार्टमेन्ट, डी–215–डी, गुरू जाम्भेश्वर मास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
   एवं मर्लिन कोरल एमबिएन्स, प्लॉट नं. डी–129, बसन्त मार्ग, कैलाश मार्ग के पास, बनीपार्क, जयपुर।
2. मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह,
   पता– ए–101, गुरू शरण अपार्टमेन्ट, डी–215–डी, गुरू जाम्भेश्वर मास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
3. कान्ति देवी गुर्जर पत्नी छोटू लाल गुर्जर,
   पता:– प्लॉट नं. 33, राजहंस कॉलोनी, स्कीम नं. 3, ब्रह्मपुरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

**The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.**

उपस्थितः– श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

## आदेश

दिनांकः 12.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.03.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. कान्ति देवी गुर्जर के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 15, स्कीम शिव शक्ति नगर, ग्राम खेजड़ों का बास, मुहाना मण्डी रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 27.95 वर्गगज 2. मोहन सिंह के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 94, मिलाप नगर, जयपुरिया हॉस्पिटल के पास, टोंक रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 264.44 वर्गगज को बंधक एवं समस्त चल संपत्तियां स्टॉक, बुक डेब्टस को हाईपोथिकेट कर कुल राशि 02,50,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 02,50,00,000/–रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 02,46,59,407.31/–रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.01.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. कान्ति देवी गुर्जर के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 15, स्कीम शिव शक्ति नगर, ग्राम खेजड़ों का बास, मुहाना मण्डी रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 27.95 वर्गगज 2. मोहन सिंह के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 94, मिलाप नगर, जयपुरिया हॉस्पिटल के पास, टोंक रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 264.44 वर्गगज एवं हाईपोथिकेटेड समस्त चल संपत्तियां स्टॉक, बुक डेब्टस का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner